कार्यालय– निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा–मा/माध्य/अ–1/21310/स्टाफिंग पैटर्न/2017–18/ दिनांक : 04.10.18

संयुक्त निदेशक,स्कूल शिक्षा
समस्त संभाग।

:: **अत्यावश्यक** ::

विषयः सत्र: 2018–19 में क्षेत्राधिकार में राउप्रावि से रामावि मे नवक्रमौन्नत विद्यालयों में पूर्व में कार्यरत स्टाफ के समायोजन के सम्बन्ध में।

संदर्भः समसंख्यक आदेश दिनांक: 10.05.2018

उपर्युक्त विषयान्तर्गत इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी समसंख्यक आदेश दिनांक: 10.05.18 में प्रदत्त निर्देशों की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिसके द्वारा इस कार्यालय के विभिन्न आदेशों द्वारा सत्र 2018–19 में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय से राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में क्रमौन्नत समस्त विद्यालयों में पूर्व में कार्यरत शिक्षण स्टाफ के समायोजन के सम्बन्ध में निर्देश जारी किये गये थे। फील्ड से प्राप्त सूचना से यह अवगति प्राप्त हुई है कि अनेक स्थानों पर उक्त बाबत संस्था प्रधानों द्वारा समायोजन प्रस्ताव प्रेषण के अभाव में अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त प्रस्तावों के अनुमोदन के अभाव में उक्त शिक्षकों के समायोजन की कार्यवाही सम्पादित नहीं हो पायी है, जिसके कारण शाला दर्पण पर अपडेशन की कार्यवाही भी लम्बित हो रही है। उक्त क्रम में पूर्व प्रदत्त निर्देशों के अनुरूप क्षेत्राधिकार के समस्त नवक्रमोन्नत राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में अग्रांकित निर्देशों की तत्काल पालना करवाई जाना सुनिश्चित करें:–

1. राउप्रावि से रामावि में क्रमौन्नत किए जाने पर विद्यालय में वर्तमान कार्यरत प्रधानाध्यापक, राउप्रावि के पद पर कार्यरत वरिष्ठ अध्यापक को उसके विषय के वरिष्ठ अध्यापक पद पर समायोजन किया जाएगा।
2. राउप्रावि में वर्तमान में कार्यरत शारीरिक शिक्षक (ग्रेड–III) का क्रमौन्नत रामावि के शारीरिक शिक्षक के पद पर समायोजन किया जाएगा।
3. क्रमौन्नत होने वाले राउप्रावि में कार्यरत शिक्षक ग्रेड– III (लेवल–1 व लेवल–2) के ऐसे अध्यापक, जिनका 6 डी में समायोजन हो चुका है,उनका समायोजन नवक्रमोन्नत रामावि में उनके विषय के स्वीकृत पद पर किया जाएगा।
4. शेष शिक्षक ग्रेड– III (लेवल–1 व लेवल–2) के अध्यापकों की प्रविष्टि शाला दर्पण पोर्टल पर 3'बी' में की जाएगी तथा ये अध्यापक 6'डी' की कार्यवाही होने तक अथवा अन्य शिक्षकों के पदस्थापन होने तक क्रमौन्नत विद्यालय में ही कार्यरत रहेंगे तथा इनका वेतन आहरण पूर्व की भांति प्रारम्भिक शिक्षा विभाग से किया जाएगा।

उपर्युक्त निर्देशित कार्यवाही सम्पादन हेतु नवक्रमौन्नत माध्यमिक विद्यालयों के संस्था प्रधानों द्वारा सम्बन्धित शिक्षकों के समायोजन हेतु नियमानुसार प्रस्ताव सक्षम प्राधिकारी (तृतीय श्रेणी अध्यापक/शारीरिक शिक्षक हेतु जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, माध्यमिक शिक्षा तथा वरिष्ठ अध्यापक हेतु सम्भागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा) को प्रेषित करेंगे। सम्बन्धित कार्यालय द्वारा प्रस्तावों के समुचित परीक्षणोपरान्त समायोजन से सम्बन्धित आदेश जारी किया जाएगा। तदनुरूप समस्त संस्था प्रधानों द्वारा "शाला दर्पण पोर्टल" पर अपडेशन की कार्यवाही तत्काल सम्पादित की जाएगी।

समस्त सम्बन्धितों द्वारा उपर्युक्त निर्देशित कार्यवाही सर्वोच्च प्राथमिकता से अविलम्ब सम्पादित की जानी सुनिश्चित की जाए।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान,बीकानेर

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव,स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग,राजस्थान, जयपुर।
2. शासन उपसचिव-प्रथम, शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग, राजस्थान,जयपुर।
3. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा को जिला क्षेत्राधिकार में समुचित पर्यवेक्षण हेतु।
4. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, माध्यमिक शिक्षा को निर्देशों की सुनिश्चित पालना के लिए प्रभावी प्रबोधन हेतु।
5. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, प्रारम्भिक शिक्षा।
6. अनुभाग अधिकारी, बजट/संस्था–एफ/शाला दर्पण/योजना, कार्यालय हाजा।
7. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्युटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु।
8. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
9. रक्षित पत्रावली।

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान,बीकानेर